Seventeenth Loksabha

>

Title: Resolution regarding Welfare measures for Anganawadi workers and Anganwadi helpers-continued.

HON. CHAIRPERSON: We have to resume the Private Member's Resolution.

Shri Rajendra Agrawal Ji has to resume his speech.

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): सभापति जी, श्री रितेश कुमार पाण्डेय जी द्वारा जो प्रस्तुत प्रस्ताव है, वह वेलफेयर ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर्स के बारे में है । इसके संबंध में, मैं पिछले सत्र में बोल रहा था । मैं अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कुछ और निवेदन करना चाहता हूँ । महोदय, इसमें कोई संदेह नहीं है, जिस बात का मैंने अपने पिछले भाषण में भी उल्लेख किया था ।

माननीय सभापति : इस सेशन में आपका मेडेन स्पीच है ।

श्री राजेन्द्र अग्रवाल : जी ।

महोदय, आंगनवाड़ी वर्कर्स की बहुत बड़ी भूमिका होती है । खासकर जिसको हम लास्ट माइल डिलीवरी कहते हैं, उसके संबंध में होती है । चाहे वह पोषण का विषय हो, चाहे चाइल्ड केयर का विषय हो, चाहे न्यू बॉर्न बेबीज़ का विषय हो, चाहे लैक्टेटिंग मदर्स का विषय हो, अब एन.ई.पी. के अंदर जो छोटा बच्चा है, उसकी चिंता करना भी एक प्रकार से आंगनवाड़ी के माध्यम से होने की योजना बनाई गई है । उनकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है । जो नियमित स्वास्थ्य सेवाएं हैं, उसके अंदर वे अपना रोल अदा करती हैं । आकस्मिक संकट के समय में भी, जैसा कि कोविड की वैश्विक महामारी आई, उसमें भी उन्होंने बड़ी तत्परता के साथ अपनी जिम्मेदारी को निभाया है ।

महोदय, यदि मैं उतर प्रदेश की बात करूँ तो माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कोरोना संकट पर विजय प्राप्त की गयी या उसको नियंत्रित किया गया या उसके खिलाफ कार्रवाई करने का प्रभावी काम हुआ । प्रत्येक दृष्टि से जो काम हुआ है, उसका दुनिया में उदाहरण दिया जाता है । उसी प्रकार से उतर प्रदेश के अंदर भी हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो काम हुआ, वह पूरे देश के अंदर अनुकरणीय है और एक उदाहरण बना है । आईआईटी, कानपुर ने उसके विषय में एक रिपोर्ट बनाकर भी दी है । डब्ल्यूएचओ ने भी उसकी तारीफ की है । इन सारे कामों के अंदर, जैसा मैंने कहा कि नियमित सेवाओं में भी और तात्कालिक दृष्टि से जो समस्या पैदा होती है, जैसे कोविड की समस्या हुई, उसमें भी आंगनवाड़ी वर्कर्स की बहुत बड़ी भूमिका रही है । सरकार ने भी इसको मान्य किया है । इसको रेक्गनाइज़ भी किया है । उसी क्रम में अनेक प्रकार की जो उनकी सुविधाएं हैं, वह भी प्रदान करने का प्रयास सरकार ने किया है । यह विषय निश्चित रूप से स्वास्थ्य का, खासतौर से प्राइमरी हेल्थ केयर का विषय है । इसमें केन्द्र सरकार और प्रदेश सरकार दोनों का विषय रहता है । इसमें प्रदेश सरकार की भी भूमिका है । अलग-अलग स्तर पर प्रदेश सरकारें क्या-क्या करती हैं, यहाँ मैं उसका उल्लेख नहीं करना चाहूँगा । मुझे उतनी जानकारी भी नहीं है कि प्रत्येक प्रदेश सरकार ने क्या किया है?

महोदय, यदि हम केन्द्र सरकार के स्तर पर देखें तो वर्ष 2018 में भी, पहले उनको तीन हजार रुपये ऑनरेरियम दिया जाता था, उसको माननीय नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने 4500 रुपये किया । इससे उनको आर्थिक दृष्टि से थोड़ा सपोर्ट मिला । यदि उन्होंने कोई विशेष कार्यक्रम किया या कोई सेवा प्रदान की तो उसके लिए भी पाँच रुपये अतिरिक्त देने की व्यवस्था की गई । आप यह देखें कि उनके समस्याओं के विषय में संवेदनशील होते हुए, उनके कार्य के महत्व को स्वीकार करते हुए, इस प्रकार की सुविधाओं का विस्तार क्रमश: प्रत्येक समय में केन्द्र की माननीय मोदी जी की सरकार द्वारा किया गया है । जैसे अभी कोरोना के समय जो हेल्थ वर्कर्स थे, उसमें 22.5 लाख ऐसे हेल्थ वर्कर्स हैं, जिनको 50

लाख रुपये की बीमा सुरक्षा प्रदान की गई । हमारी जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं या आशा वर्कर्स हैं, उनको भी इस दायरे के अंदर लिया गया । आज उनको 50 लाख रुपये का एक सुरक्षा बीमा उपलब्ध है । काम करते समय उनको यह एक सुविधा दी गई है ।

अभी इस बजट के अंदर भी, जिसे हमारी वित मंत्री महोदया ने प्रस्तुत किया, उसके अंदर भी आंगनवाड़ियों का अपग्रेडेशन किया गया । उसमें एक श्रेष्ठ एवं सक्षम आंगनवाड़ी बनाने की दृष्टि से भी योजना बनाई गई । उसके लिए बजट का आवंटन किया गया है ।

यह कोशिश की गई है कि टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज़, तीनों स्तर पर उनको मदद मिले और इस प्रकार के बजट का प्रावधान वित्त मंत्री महोदया ने किया है ।

संक्षेप में, मैं यह कहना चाहता हूं कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की जो भूमिका है, उसके महत्व को सरकार ने स्वीकार भी किया है, उसको सम्मानित भी किया है और उनकी सुविधाओं को बढ़ाने की कोशिश भी की है ।

18.55 hrs (Shri Kodikunnil Suresh *in the Chair*)

रितेश पांडेय जी ने जो यह प्रस्ताव रखा है, इसके संबंध में मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि यह विषय केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार, दोनों के क्षेत्र के अंदर आता है । इसलिए यह हो सकता है, इस प्रकार का विचार किया जा सकता है कि केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार के जो मंत्री हैं, स्वास्थ्य से संबंधित जिनका काम है या बाल विकास से संबंधित जो विभाग हैं, उनके साथ बैठकर ऐसी कोई योजना बनाए कि इन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को और अधिक स्थायित्व दिया जा सके । यदि संभव हो तो उनकी नियमित सैलरी की जा सकती है । आप भी इस बात को स्वीकार करेंगे कि संसाधनों की कुछ सीमा रहती है । इसकी जो डिमांड है, वह प्रदेश सरकार के द्वारा ही की जाती है, उसे ही इनीशिएटिव लेना पड़ता है । इस संबंध में ऐसी योजनाएं बनाई जाएं कि उनको और अधिक सुविधायें मिलें, वे और अधिक सक्षमता के साथ सेवा कर सकें ।

पिछले दिनों कोविड के कार्यकाल के अंदर उत्तर प्रदेश की सरकार ने उनको मोबाइल दिए हैं, जिससे वे बेहतर आंकड़े रख सकें, बच्चों के आंकड़े रख सकें, माताओं के आंकड़े रख सकें, उनको ठीक प्रकार से सेवायें प्रदान कर सकें । इस प्रकार की अन्य सुविधायें भी दी जा सकती हैं । निश्चित रूप से यह महत्वपूर्ण विषय है । केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार मिलकर इसके ऊपर निर्णय करें और उनकी सुविधाओं का विस्तार हो । इतना ही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और मुझे समय देने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं ।

माननीय सभापति: श्री रमेश बिधूड़ी ।

… (<u>व्यवधान</u>)

माननीय सभापति: श्री कनकमल कटारा जी ।

श्री कनकमल कटारा (**बांसवाड़ा**): सभापति महोदय, मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है । आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की दशा में सुधार के लिए जो कदम उठाए जाने आवश्यक हैं, उनके बारे में मैं कुछ कहना चाहूंगा । आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को नियमित रूप से रोजगार मिले । उनको मानदेय की जगह वेतन देना निश्चित रूप से बहुत ही आवश्यक है । इन्हें स्थायी करना चाहिए । उनको समय पर भुगतान नहीं होता है । उनकी सेवा का कार्य ज्यादा है, मानदेय कम है । उन्हें स्थायी कर मानदेय बढ़ाने की आवश्यकता इस समय लगती है । आंगनवाड़ी कार्यकर्ता विषम स्थिति में काम करते हैं ।

हमारे यहां दूरदराज में आदिवासी क्षेत्र हैं । वहां आंगनवाड़ी केंद्र जर्जर अवस्था में हैं । नए भवन के लिए राशि देकर उन्हें बनवाना चाहिए । उनका भुगतान समय पर होना चाहिए । दूरदराज क्षेत्र में कहीं किराये के मकान भी नहीं मिलते हैं । ऐसी परिस्थिति में बहुत ही परेशानी होती है । इसके लिए कुछ व्यवस्था की जानी चाहिए । आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का चयन करने की जो प्रकिया है, वह उचित समय पर होनी चाहिए । नियमानुसार चयन नहीं होने से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को परेशानी होती है, इसलिए इसे समयबद्ध प्रकिया के

लिए प्रतिबद्ध करना चाहिए । धात्री माताएं, गर्भवती माताएं, बच्चे, उनके वजन और पोषाहार की व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं हो रही है । इसे व्यवस्थित करना चाहिए । पोषाहार को लेकर पूरे देश में परेशानियां आती हैं । निचले स्तर पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को बहुत परेशानियां होती हैं । उनके ऊपर बहुत से काम लाद दिए जाते हैं । वे बहुत हैरानी सी महसूस करती हैं । उनका मानदेय बहुत कम है । इस समय उनको स्थायी करने की आवश्यकता है । वे कम मानदेय में इसलिए नौकरी करती हैं, कि 'मैं स्थायी रूप से यहां लग जाऊंगी और अपने परिवार का पालन – पोषण कर सकूंगी ।इसी आशा के साथ वे कम मानदेय में भी काम करती रहती हैं ।

19.00 hrs

मेरा निवेदन है कि इस ओर ध्यान दिया जाए । जिस प्रकार की शुद्ध पेयजल की व्यवस्था आंगनवाड़ी केन्द्र पर होनी चाहिए, वह वहां नहीं होती है । उस क्षेत्र में आंगनवाड़ी केन्द्र बहुत जर्जर अवस्था में होते हैं इसलिए पूरी राशि का अलॉटमेंट करके नया केन्द्र बनाने की आवश्यकता है, तभी यह काम होगा । चयन प्रक्रिया में राजनीतिक दबाव के चलते साल भर, डेढ़ साल और दो साल तक यह प्रक्रिया चलती रहती है तो वह आंगनवाड़ी सेंटर कैसे चलता होगा? इसलिए चयन की कोई सरल प्रक्रिया बनाई जाए जिससे यह व्यवस्था सही ढंग से चल सके । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री रमेश बिधूड़ी (**दक्षिण दिल्ली**): माननीय सभापति महोदय, हमारे बीएसपी के मेंबर अभी गायब हैं, जिस प्रस्ताव को लेकर वह आए, मानवता के अनुसार उनको यहां रहना चाहिए था, अगर वह आंगनवाड़ी वर्कर्स के सच्चे हितैषी थे, लेकिन कोई बात नहीं है । इसी प्रकार से सामने विपक्ष सारा का सारा दिन बैठा हुआ था । इस देश का दुर्भाग्य है कि जिस आंगनवाड़ी केन्द्र में आशा वर्कर्स काम करते हैं, जिनके बगैर देश चल ही नहीं सकता, आज सवा सौ करोड़ की आबादी में उनके हितों की रक्षा की जाए, उनको एप्रीशिएट किया जाए ।

माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोविड के दौरान इनकी एप्रीसिएशन डॉक्टर्सों की एसोसिएशन करके ही इस देश को बचाया क्योंकि हमारे यहां पीठ पर हाथ रखने से व्यक्ति ज्यादा मददगार साबित होता है, जान भी देने को तैयार हो जाता है । विपक्ष का एक भी सदस्य इस सेन्सेटिव मुद्दे पर इस सभा से गायब है । लोकतांत्रिक व्यवस्था में इससे बड़ी शर्मनाक बात हो ही नहीं सकती ।

HON. CHAIRPERSON : Bidhuri ji, today is the last day of first part of the Session. Many Members from ruling as well as opposition Benches were going back to their constituencies.

श्री रमेश बिधूड़ी: माननीय सभापति महोदय, यह पहले से तय था कि प्राइवेट मेंबर बिल आएगा तो आदमी को उसी हिसाब से अपने कार्यक्रम बनाने चाहिए । यह आज के ही दिन थोड़े तय हो गया कि प्राइवेट मेंबर्स बिल आएगा, इससे पहले शुक्रवार को इतिहास में पहले कभी आया ही नहीं था । यह आदमी की संवेदनशीलता की बात है इसीलिए देश की जनता को नेताओं के ऊपर से 70-75 सालों में भरोसा ही उठ गया था ।

धीरे-धीरे हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज क्रेडिबिलिटी जमाई है और नेताओं के ऊपर लोगों ने विश्वास करना शुरू किया है । इन्हीं हरकतों को देखते हुए लोग नेताओं से फरस्टेटेड हो गए थे ।

हमारे समाज के अंदर भारत जैसे देश में, जिसकी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, जिसका इन्फ्रास्ट्रक्चर पहले से कम था और कुछ घोटालों में गया, 60 सालों से लंबे समय तक देश में घोटाले हुए, वे सुविधाएं इन गरीबों तक नहीं पहुंच पाती थीं । तीन प्रकार के काम आंगनवाड़ी के माध्यम से हमारी बहनें करती हैं और बड़े लार्ज स्केल पर करती हैं । बच्चे के स्कूल जाने से पहले, छह साल तक के बच्चे को एजुकेट किया जाए, उसका पोषण ठीक हो, उसको भली प्रकार से डाइट मिल सके । अगर बच्चे का स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो वह देश का अच्छा नागरिक बनेगा और देश को आगे ले जाने का काम करेगा ।

हमारे देश में गरीबी ज्यादा होने के कारण, इन्फ्रास्ट्रक्चर ज्यादा न होने के कारण, आंगनवाड़ी के लिए प्राइवेट मेंबर्स बिल में यह भी जोड़ना चाहिए, मैं सरकार से बोलना चाहूंगा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून इस देश में अनिवार्य हो । उसके बगैर इस देश की व्यवस्था आगे नहीं बढ़ सकती है । अगर आशा वर्कर्स न हों तो सेवाएं कॉलेप्स हो जाएं देश को संभाला नहीं जा सकता है ।

हालांकि आंगनवाड़ी की व्यवस्था सोशल जस्टिस मंत्रालय के माध्यम से वर्ष 1975 में प्रारंभ की गई थी । लेकिन वर्ष 2021 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसे 27 राज्य, जो बहुत ही पिछड़े हुए थे, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के मोस्ट बैकवार्ड डिस्ट्रिक्ट थे, जहां सड़कें होना तो बहुत बड़ी बात थी । अगर गर्भावस्था के दौरान किसी बहन को किसी प्रकार की हैल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता हो तो एजुकेशन ही नहीं है । एजुकेशन न होने के कारण क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्या प्रिकॉशन दी जानी चाहिए, गरीबी माताओं-बहनों को कहां से जानकारी होती है, उनको जानकारी नहीं होती थी । आंगनवाड़ी के माध्यम से उनके खाने के लिए, पोषण, दूध, सब्जी, खाद्य तेल और मीठा, ऐसे अनेकों प्रकार की गर्भावस्था के समय डाइट दी जाए ।

आंगनवाड़ी और समाजिक कल्याण मंत्रालय के माध्यम से डाइट जाती है ताकि बहनें स्वस्थ रहें । इनके स्वस्थ रहने के लिए सर्विस प्रोवाइड करने का काम आंगनवाड़ी वर्कर्स ही करती हैं ।

देश के गरीब लोगों के सम्मान और एजुकेशन के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि आंगनवाड़ी वर्कर्स लोकल होती हैं । इस कारण गरीब माताएं और बहनें उसकी भाषा को आसानी से समझ सकती हैं । हमारे यहां कुछ शर्म होती है, हया होती है गांव और रूरल बैल्ट की महिलाएं अपनी समस्याओं को बताने में हिचकती हैं । वे अपनी समस्याएं लोकल आंगनवाड़ी वर्कर के सामने खुलकर उसके सामने रख सकती हैं । वे इनका मोटिवेशन करती हैं, इनको एजुकेट करती हैं । गंभीर से गंभीर बीमारी होने से पहले अगर जानकारी मिल जाए तो

अच्छे डॉक्टर या अच्छे हैल्थ सैंटर में रैफर करने का काम आंगनवाड़ी के माध्यम से समाज में किया जाता है ।

महोदय, पहले वृद्ध लोगों को एजुकेशन देने का काम आंगनवाड़ियों के माध्यम से किया जाता था । अब समय में बदलाव आने के कारण माताओं और बहनों को इंजेक्शन लगाने का काम, गर्भावस्था के दौरान बहनों की इस प्रकार की चिंता हो कि वे पोलियोग्रस्त न हों, खसरे जैसी बीमारी न हो, बच्चा कुपोषण के रूप में पैदा न हो, इसके लिए एजुकेशन देने का काम, काउंसलिंग करने का काम आंगनवाड़ी बहनों के माध्यम से किया जाता है ।

फैमिली प्लानिंग के बारे में घर-घर जाकर बताया जाता है परिवार कैसे आगे बढ़ सकता है, चल सकता है । वे फैमिली प्लानिंग के बारे में भी एजुकेट करती हैं । जैसा मैंने कहा रूरल बैल्ट में, गांवों में, दूरदराज क्षेत्रों में, छोटे कस्बों में लोग बसे हैं, इनमें बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स भी हैं, वे घर-घर जाकर सेनिटाइजेशन के यूटिलाइजेशन के बारे में बताकर सेवा करने का काम करती हैं ।

महिलाओं में गर्भावस्था के समय और बच्चा पैदा होने के बाद कैसे प्रतिरक्षण क्षमता विकसित की जाए, आंगनवाड़ी वर्कर्स गंभीर बीमारियों से बचाव के लिए न्युट्रिशियस और अच्छी डाइट देने के लिए प्रोत्साहित करती हैं और पूरी जानकारी भी देती हैं । कई परिवार रूढ़ीवादी विचारधारा के होते हैं । यह व्यवस्था आज भी देश में है । अगर हम बिहार, ओडिशा और मध्य प्रदेश में चले जाएं, वहां आज भी लोग अंधविश्वासी हैं । इस कारण वे झाड़-फूंक कराते हैं । ऐसी स्थिति में लोकल डॉक्टरों से अच्छा काम आंगनवाड़ी बहनें करती हैं । आंगनवाड़ी बहनें मोटिवेशन और सेवा का काम कर रही हैं । नीति आयोग के आंकड़े निकलकर आए हैं कि वे सात करोड़ माताओं, बहनों, बच्चों और परिवारों की काउंसलिंग करती हैं और उनका जीवन बचाने का काम करती हैं । दो मिलियन आंगनवाड़ी वर्कर्स काम कर रही हैं ।

आंगनवाड़ियों के माध्यम से बेसिक हैल्थ सर्विसेज़ में छ: साल से छोटे बच्चे की जांच सही समय पर हो । उन्हें फूड और डाइट देने के बाद क्वार्टरली जांच के बारे में माननीय प्रधान मंत्री जी ने सभी सांसदों से कहा कि मनुष्य को

अपनी मनुष्यता प्रदर्शित करने के लिए सेवा के कार्य करने चाहिए । सभी सांसदों को उन्होंने कई बार कहा कि हम सब लोगों को हर गली-मोहल्ले में जाकर छोटे बच्चों का कम्पीटिशन कराना चाहिए किसका बच्चा सबसे ज्यादा स्वस्थ है । अगर हम एक बच्चे को मोटिवेट करने के बाद हैल्थ सैक्टर के डॉक्टर आंगनवाड़ियों के माध्यम से कैम्प लगाकर काउंसलिंग करें और कम्पीटिशन कराएं और कहें परिवार को इन्सेन्टिव देंगे तो और भी परिवार के लोग, माताएं और बहनें सोचेंगी कि मैं भी अपने बच्चे की ज्यादा चिंता करूं । इन सब योजनाओं में, जो सरकार की तरफ से चलती हैं, गरीबों तक पहुंचने में बहुत ज्यादा समस्याएं पैदा होती हैं, लेकिन उन सभी योजनाओं को इन तक पहुंचाने का काम आशा वर्कर्स के माध्यम से किया जा रहा है ।

मैं देश के भविष्य की उज्ज्वलता के लिए, देश के विकास के लिए कहना चाहता हूं कि अगर देश को सुदृढ़ बनाना है तो आगे आने वाले नौजवान स्वस्थ रहने चाहिए । अगर, बच्चा बड़ा होकर स्वस्थ रहेगा तो वह देश की रक्षा में और देशभक्ति में अपना पूरा जीवन देगा ।

देश की बढ़ती जनसंख्या को संभालना इतना आसान नहीं है । लेकिन, अब समाज के अंदर आंगनवाड़ी वर्कर्स अहम हिस्सा बन चुकी हैं । आज इनके बगैर सिस्टम को चलाना बहुत मुश्किल है । स्थानीय होने के कारण भी कोरोना जैसी बीमारी फैली । इस कोरोना बीमारी में कुछ राजनीतिक लोगों ने अनेकों प्रकार के भ्रम फैलाने के काम किए । कोई बयानबाजी कर रहा है कि यह वैक्सीन लग जाएगी तो आप नपुंसक हो जाएंगे । कोई कह रहा है यह वैक्सीन किसी एक व्यक्ति, मोदी साहब की वैक्सीन है । अपने फायदे के लिए उन लोगों का गरीबों की जान बचाने का कोई ध्येय नहीं था । उनका ध्येय था कि देश के अंदर ज्यादा से ज्यादा मौतें हों । मौतें हों, तो सरकार बदनाम हो और सरकार बदनाम हो तो हम सत्ता पर बैठ जाएं । यह काम भी इन विपरीत परिस्थितियों में अपनी जान को जोखिम में डालकर करने का काम अगर किसी ने किया है तो वह आंगनवाड़ी वर्कर्स ने ही किया है । जैसा मैंने पहले कहा कि स्थानीय होने के कारण वे अपनी भाषा में किसी को भी समझा सकती हैं । हमारे देश में अलग-अलग प्रांत में अलग-अलग भाषाएं हैं । उन भाषाओं के माध्यम से वे उनको

समझा सकती हैं । कोविड में अगर किसी ने मेजर रोल पार्टिशिपेशन के रूप किया है, तो आशा वर्कर्स और आंगनवाड़ी वर्कर्स ने ही अपना योगदान देकर किया है । प्रधान मंत्री जी ने लोकल वैक्सीन बनने के बाद उसको आगे ले जाकर इस बीमारी से निजात दिलाई तो उसके लिए हम इस बात को बिल्कुल नहीं भूला सकते कि उसमें आंगनवाड़ी बहनों और आशा वर्कर्स का योगदान नहीं था । उनके कंट्रिब्यूशन को हमें एप्रीशिएट करना चाहिए । एप्रीशिएट करने के साथ-साथ हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि उन आंगनवाड़ी वर्कर्स के अंदर कुछ कमियां हैं । नीति आयोग की रिपोर्ट में भी कहा गया है कि वे कम एजुकेटेड होती हैं । उसका कारण यह है कि उनको कम पैसे दिए जाते हैं । उनको एजुकेटेड करके और ट्रेनिंग सेंटरों में ट्रेनिंग देकर इस काम में लगाया जाए । क्योंकि वे नर्स की तरह इमोशनल होकर अपने परिवार का सदस्य मानते हुए लोगों की सेवा करती हैं । यदि एक आंगनवाड़ी हेड के ऊपर 70 परिवार हैं तो वे उनको दिल से अपना परिवार समझकर एएनएम की तरफ सेवा करने का काम करती हैं । मैंने कोविड का जो एग्जाम्पल दिया है, उसमें बगैर किसी राजनीति के, अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग प्रकार की राज्य सरकारें थीं, अलग-अलग विचार के लोग थे, अलग-अलग राजनीतिक दल थे, लेकिन यह मामला भले ही केंद्र से चल रहा है, लेकिन आंगनवाड़ी का संचालन तो राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है । योजना भले ही सेंट्रल की है, पैसा भले ही सेंटर से जाता है, लेकिन उसके बाद भी संचालन का काम राज्य सरकार का ही होता है । राज्य सरकार के अंदर ...* होने के बावजूद भी टीएमसी जैसी सरकार जो बंगाल में शासन कर रही है, उनको केवल शासन प्राप्त करने के अलावा कुछ नहीं सुझता है । अगर, सबसे कम वैक्सीनेशन कहीं हुआ था, तो वह बंगाल में हुआ था । अगर, ये आंगनवाड़ी वर्कर्स न होतीं तो बंगाल में इससे भी ज्यादा स्थिति बिगड़ सकती थी । स्थिति को बिगाड़ने का काम वहां की मुख्य मंत्री ने किया था । उनका ध्येय मैं दोबारा दोहरना चाहता हूं । उनका ध्येय यही था कि इमरजेंसी ज्यादा हो जाए, मौतें ज्यादा हों, ताकि सरकार बदनाम हो जाए । सरकार को बदनाम करके लोगों की लाशों पर राजनीति करने की उनकी मानसिकता थी ।

जैसा मैंने कहा कि आंगनवाड़ी वर्कर्स की ट्रेनिंग होनी चाहिए । उनको एजुकेशन दी जानी चाहिए । अगर हम उन बहनों को एजुकेशन देंगे तो वे गरीब परिवारों की, माता-बहनों की काउंसिलिंग और भी अच्छी तरह से कर सकती हैं । यह मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं ।

जैसा नीति आयोग ने अपनी सिफारिश में कहा था, राज्य सरकारों को भी इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि केंद्र सरकार के माध्यम से जो फंड जाता है, वर्ष 2021 में माननीय प्रधान मंत्री मोदी जी ने इसको और आगे बढ़ाने के लिए, और सुविधा देने के लिए तथा छोटी से छोटी आवश्यकताओं की पूर्ति की जो चीजें हैं, उनको पहुंचाने का काम भली प्रकार से किया जा सके । जो योजनाएं हैं, वह गरीबों तक पहुंच सके । हमारे एक प्रधान मंत्री जी ने पहले कहा था कि यदि हम केंद्र से गरीबों के लिए 1 रुपया भेजते हैं, तो केवल 15 पैसे पहुंचते हैं । रास्ते में 85 पैसे खा लिए जाते हैं, क्योंकि लोगों में उसकी जानकारी नहीं होती है । उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सरकार ने क्या व्यवस्थाएं की हैं, क्या कानून बने हैं, उनको इस बात की जानकारी नहीं होती है । आज आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से सरकार की योजनाओं का विस्तार हो सके, सरकार की योजनाओं का प्रतिफल उन गरीब लोगों तक पहुंच सके, जिनको उसकी आवश्यकता है । वे उनको मोटिवेट करती हैं । उनको आगाह और उनसे आग्रह करते हुए, उनको जीवन में भली प्रकार से जीने के लिए उनकी काउंसलिंग करती हैं । इसके साथ ही साथ चाहे केन्द्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, जो इस प्रकार की योजनाएं हैं, उनको जमीनी स्तर तक ले जाना है ।

जब सन् 1995 में दिल्ली में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तब डॉक्टर हर्षवर्धन जी पोलियो की दवाई लेकर आए थे । अगर आज भारत पोलियो मुक्त हो गया है, छः महीने, एक साल या छोटे से छोटे बच्चे को दवाई लगाने के लिए आंगनवाड़ी बहनें घर-घर जाती थीं और उनको मोटिवेट करती थीं । उस समय भी लोगों में यह भ्रम था कि छोटा बच्चा है, तीन महीने का है, चार महीने का है, अगर हम पोलियो की ड्रॉप देंगे, तो क्या होगा । अगर उन माताओं के अंदर विश्वास पैदा कराने का काम किया गया था, तो आंगनवाड़ी और आशा वर्कर्स ने वह विश्वास पैदा किया था । आज हम यह गर्व के साथ कह सकते हैं कि

हमारा भारत पोलियो मुक्त हो गया है । अगर यह हुआ है, तो यह आंगनवाड़ी वर्कर्स के माध्यम से ही हुआ है ।

हमारे शहरों और कस्बों में जो हेल्थ सेंटर्स हैं, उन हेल्थ सेंटर्स के अंदर जो अधिकारी पर्मानेन्ट जॉब के साथ काम कर रहे हैं, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि उनकी मानसिकता ठीक नहीं हैं । लेकिन वे लोग कभी-कभी यह समझ लेते हैं कि मेरी आठ घंटे की ड्यूटी है, मुझे इतनी तन्ख्वाह मिलती है, तो मेरा काम पूरा हो गया है । उनको अलग हटाकर, जब जमीनी स्तर पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को यह काम सौंपा जाता है, तो वे इस बात की चिंता नहीं करती हैं कि मुझे 8 या 10 घंटे सर्विस करनी है । आंगनवाड़ी वर्कर्स वहीं पर रहकर लोगों को सर्विस प्रोवाइड करने का काम करती हैं ।

जैसा कि मैंने कहा है कि इनकी एक समस्या है कि इनको एजुकेट नहीं किया जाता है, इनकी शिक्षा कम होती है । इनको इसलिए शिक्षा और ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, क्योंकि अगर ये स्किल्ड हो जाएंगी, तो सरकार को इनको मिनिमम वेजेज़ देना पड़ेगा । अगर सरकार इस व्यवस्था को लागू करे, तो अच्छा रहेगा । बच्चा स्वस्थ पैदा हो, वह बीमारी से ग्रस्त न हो, एक स्वस्थ बच्चा बड़ा होकर देश की रक्षा करने और देश को चलाने का काम करे । हमें इस काम को और आगे बढ़ाना चाहिए । सरकार को इनीशिएटिव लेकर आगे बढ़ना चाहिए । आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से हम अपने सिस्टम और इन्फ्रास्ट्रक्चर्स को फाइनेंस कम होने के कारण, जैसा कि मैंने कहा है कि हेल्थ सेंटर्स, अस्पताल्स में इनको स्किल किया जाए । नीति आयोग ने भी इस बात की सिफारिश की है ।

हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का पूरा का पूरा ध्यान इस बात की तरफ केन्द्रित है कि देश के सवा सौ करोड़ लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके । क्या पहले की सरकारों ने उन आवश्यकताओं की पूर्ति की है? लेकिन जितनी पूर्ति करनी चाहिए थी, वे नहीं कर पाएं । क्या पहले की सरकारें ऐसा नहीं कर सकती थीं? माताओं और बहनों की आंखें फूट जाया करती थीं, धुंए के कारण फेफड़े खत्म हो जाया करते थे, लेकिन आज गरीब की बेटी को उज्ज्वला योजना के माध्यम से सिलेंडर दिए जा रहे हैं । पहले क्यों नहीं दिया जाता था? आज

चुनाव में यह प्रतिस्पर्धा हो गई है कि मैं दीवाली पर दो सिलेंडर्स माफ करूंगा, मैं तीन सिलेंडर्स माफ करूंगा । आज यह प्रतिस्पर्धा हुई है, तो सिर्फ मोदी जी के कारण हुई है । मोदी जी ने इस व्यवस्था को लागू करने का काम किया है । अब सरकारें व्यवस्थाएं करती हैं, लेकिन पहले भी करती रही होंगी, लेकिन मैं फिर से इस बात को दोहराना चाहता हूं कि जितनी व्यवस्थाएं करनी चाहिए थीं, उतनी नहीं हो पाई थीं ।

अब जो योजनाएं लागू हैं, उनको जमीनी स्तर तक पहुंचाया जाए । उनका प्रतिफल गरीब आदमी तक पहुंच सके, जो हमारी आंगनवाड़ी और आशा बहनें हैं, वे यह काम करती हैं । इसीलिए इनका जो पारितोष है, वह भी संतोषजनक नहीं है । कम से कम इनको उस हिसाब से पारितोष दिया जाना चाहिए । अब उनका कसूर क्या है? वे स्किल्ड तो नहीं हैं । स्किल्ड न होने के कारण, उनको अनस्किल्ड में डाल दिया जाता है । सरकारें उनको 4-4, 5-5, 7-7, 10-10 और 12-12 हजार रुपये में काम कराती हैं । अच्छा काम, ईमानदारी के साथ किया गया काम, सेवाभाव का काम, देश को आगे बढ़ाने का काम, देश की जेनरेशन को स्वस्थता की तरफ ले जाने का काम, अगर पूरी दुनिया में भारत वर्ल्ड पावर की तरफ बढ़ेगा, तब दुनिया के अंदर उसकी रेटिंग तय की जाएगी । जैसे भारत पोलियो मुक्त हो गया है, ऐसी सभी बीमारियों से जो छोटे-छोटे बच्चे ग्रसित हो जाते हैं, उनके जीवन को बचाने का कार्य समाज कल्याण विभाग और स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से किया जाता है । उनको फलीभूत करने का काम हमारी आंगनवाड़ी बहनों के द्वारा ही किया जाता है । इनकी सर्विस की कंडीशन निश्चित रूप से सुधारी जानी चाहिए । आंगनवाड़ी महिलाओं का एक ड्रेस कोड होना चाहिए, क्योंकि उस ड्रेस कोड की एक रिस्पेक्ट होती है । नर्स, जो अस्पताल में काम करती है, अगर वह नर्स उस ड्रेस को पहनकर पेशेंट के सामने आती है तो पेशेंट की आधी बीमारी तो इस बात से दूर हो जाती है कि नर्स के पेशे में काम करने वाली मेरी जो बहन है, वह ईमानदारी के साथ, सच्चे भाव से, सेवा भाव से इंजेक्शन लगा रही है, दवाई दे रही है । अगर नर्स बिना ड्रेस कोड के सामने आएगी तो आधे लोगों को कम विश्वास होगा । वे सोचते हैं कि पता नहीं यह ट्रेनी नर्स है या नहीं है, पता नहीं इसने नर्सिंग कोर्स किया हुआ है या नहीं

किया हुआ है इसलिए आंगनवाड़ी की इन बहनों के लिए एक ड्रेस कोड बनाया जाना चाहिए । इसके लिए सरकार की तरफ से व्यवस्था होनी चाहिए । जब वे गली-मोहल्ले से निकले तो लोग उनको रिस्पेक्ट भाव से देखें ।

आपने कोविड के दौरान देखा होगा कि जब वे बैग लेकर या वैक्सीन लेकर जाती थीं तो लोग उन पर पथराव करते थे, बद्तमीजी करते थे । हमने उन चेहरो को भी देखा है, जो पथराव करते हुए, बदतमीजी करते हुए अपमान करने का प्रयास करते थे । इनके अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए भी अगर इनके पास ड्रेस कोड होगी तो अच्छा होगा । अगर पुलिस का सिपाही सिविल ड्रेस में होता है तो कोई भी उससे कुछ भी कहने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वही कॉन्स्टेबल कहीं पर वर्दी में जा रहा है, चूँकि एक वर्दी का कानून उसके शरीर के ऊपर है तो वह 100 लोगों को कंट्रोल करने का काम कर सकता है । अगर उस पर से खाकी कपड़ा हटा दिया जाए तो उसको कोई भी फॉलो नहीं करेगा । वे देश के सिस्टम को सुधारने का काम करते हैं ।

इसी प्रकार से हमारी जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, आशा वर्कर्स हैं, उनके ड्रेस कोड के लिए सभी राज्यों को काम करना चाहिए । लोग प्रचार-प्रसार में पैसा बहाते हैं । अपनी वाह-वाही लूटने में पैसा बहाते हैं ।

SHRI V.K. SREEKANDAN (PALAKKAD): Chairman Sir, there is no quorum in the House.

श्री रमेश बिधूड़ी (**दक्षिण दिल्ली**): आप लोग बड़ी मुश्किल से तो …* होकर आए हों । जब मैंने आवाज लगाई तो सुन-सुन के भागे होंगे । अगर देश हित में, जनता के हित में या गरीबों के हित में कोई बात कही जा रही है तो ये कोरम शॉर्ट की बात बोल रहे हैं ।

सभापति जी, आप इनसे पूछिए कि इनकी पार्टी के कितने मैम्बर्स बैठे हैं । मतलब, 'भैंस अपने रंग को देख नहीं रही, लेकिन छतरी को देखकर भिदक रही है ।' ये तब तो कह सकते थे कि हमारी पार्टी के सभी लोग बैठे हुए हैं और कोरम पूरा नहीं है । यहां पर सत्ता पक्ष के ही 50 सदस्य बैठे हुए हैं । क्या यह

सत्ता पक्ष का ही काम है? यह तो मिलजुलकर होने वाला काम है । बीएसपी के माननीय सांसद पंडित जी महाराज इस प्राइवेट मैम्बर बिल को लेकर आए हैं तो उनके माध्यम से अगर हम आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स के हित में सोचेंगे तो कहीं ना कहीं देश की उस जनरेशन को, उन बच्चों को पोषणता दे पाएंगे ।... (व्यवधान)

श्री रितेश पाण्डेय (**अम्बेडकर नगर**): आप सैलेरी बढ़ाने के लिए भी बोलिए ।

श्री रमेश बिधूड़ी : मैंने सैलेरी बढ़ाने के लिए तो बिल्कुल कहा है, लेकिन आप बात तो करते हो कि हम समाजवादी है, लेकिन अपने खानदान से बाहर नहीं निकलते हो । आप लोगों की यह स्थिति है । आपकी ...* जब टिकट देती है तो 50 करोड़ रुपये मांगती है । अब जब कोई 50 करोड़ रुपये देकर टिकट लेगा तो देश की कहां सेवा करेगा । वह तो अपनी कमी पूरी करेगा । माननीय सभापति जी, ये माननीय सदस्य हैं, इनके माध्यम से प्रस्ताव लाया गया है ।

HON. CHAIRPERSON : Hon. Members, I am to inform that four hours time has already been taken on this Resolution. We are almost exhausting the time allotted for its discussion. There are still some Members to speak on the Resolution. If the House agrees, we may extend the time by one hour more.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes, Sir.

HON. CHAIRPERSON: The time has been extended by one more hour for the Resolution.

श्री रमेश बिधूड़ी : सर, धन्यवाद । आज जो प्राइवेट मैम्बर बिल के रूप में मोशन लाया गया है, उसका मैं समर्थन करते हुए कहना चाहता हूं कि उन आंगनवाड़ी वर्कर्स, उन आशा वर्कर्स के बारे में कहीं ना कहीं सभी राज्य की सरकारें और केन्द्र सरकार यह चिंता करे और उनको ये सुविधाएं मुहैया करवाने का काम करे, जिससे वे सच्चे मन से, सेवा भाव से देश के जनमानस का और गरीब के कल्याण का काम कर सकें । माननीय प्रधान मंत्री जी की यह सरकार

गरीबों को समर्पित है, गरीबों के लिए काम कर रही है और आपने पिछले सात वर्षों में देखा भी होगा कि जितने भी निर्णय लिए गए हैं, वे सभी के सभी निर्णय गरीबों के उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए और उनके बच्चों के स्वास्थ्य के लिए लिए गए हैं । इसलिए हमारी एएनएम, आशा वर्कर्स और आंगनवाड़ी वर्कर्स के पारितोष की तरफ विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए । इन्हीं बातों को कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ ।

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद ।

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Hon. Chairperson, Sir, thank you for giving me this opportunity to speak on this Private Members' Resolution.

A very good Resolution has been moved by our good friend Shri Ritesh Pandey ji. It is good in the sense that it deals with the welfare measures for Anganwadi workers and Anganwadi helpers. With a view to uplifting their working conditions, he has cited five specific issues. Most of the issues are being discussed throughout the country, by people who know what type of difficulties they are facing, and not just by the Anganwadi workers and Anganwadi helpers. As most of the hon. Members of this House have participated in the discussion on this Resolution and have supported it, I would also support this Resolution.

Most of us know in what type of pitiable conditions a large of number of these Anganwadi workers have been working. As you are aware, the ICDS programme started in 1975 during Shrimati Gandhi's Prime Ministership. Since the last 46 years, India is having this type of a programme of ICDS. Anganwadi workers and helpers are a part of that. They were added subsequently in this programme. But providing nutritious food to the under-nourished children was something that was

started in 1975. This programme of ICDS wasstarted by her in order to honour a commitment of the United Nations where India was a signatory. That is how this programme in most of the districts, especially in my State and in States like Jharkhand of today and Chattisgarh of today started. This programme has become a boon for most of the tribal pockets in the country. It is because providing nutritious food to the tribal children was actually a great challenge for us. Most of the Members of the Lok Sabha preside over the DISHA meetings and also, they preside over another Committee which deals with health services in their districts. Members get a figure about the maternal mortality rate in their districts and also about the child mortality rate in their districts. From there, I tried to find out why this number is there and wherefrom these families hail. Why were they not provided any medical services at the time of child birth? Invariably, it has come to light that firstly because of marriage of minor girls; secondly, because of lack of access to health facilities; and lastly -- and the most important is -- because of not getting nutritious food there is child mortality. As you are aware, during the UPA regime, the system of ASHA workers developed and the Anganwadi programme started before that.

Sir, I will confine my speech on four specific points. As you are aware, Anganwadi services is a Centrally-sponsored scheme which is implemented through State Governments. The recruitment of Anganwadi workers is undertaken by the State Governments concerned. There are specific guidelines. The Anganwadi workers under the scheme are from the local village and they are selected by a Selection Committee constituted by the State Government as per the ICDS Board Mission Framework. The minimum prescribed qualification is

matriculation and the age limit is between 18 and 35 years for being engaged as Anganwadi workers.

Sir, I would first come to the Anganwadi centres. Nowadays, Anganwadi Centres are looking very beautiful. You must be visiting your constituency and different remote areas in your villages. The moment you enter a village, the best house that attracts your eye is the colourful Anganwadi Kendras that have come up. It was not so ten or 15 years ago or even 20 years ago. It was such a dilapidated place. The Anganwadi Centre was a rented place or a ram shackled place but now it is not like that. I asked a number of children whether they love to come to this Anganwadi Centre. They said 'Yes'. I asked whether it was because of the food. They said, 'No'. They said that they feel safe and there are so many things to play around in the Anganwadi Kendra. They get small chairs where children sit; they get toys which they play with; there is a small toilet also. You have a good Anganwadi helper and a worker who also takes care of those 20 or 25 or 50 or the number of children there. Ultimately, they also get some food in the lunch time. But it is not so everywhere.

In my district, I make it a point that in every three to four months time, I do the review of my constituency. I always ask the concerned Block Development Officer that this much was the target and the construction of Anganwadi Kendras must be completed because MGNREGA is also involved. Why has it not been completed? Specific Sub-Collectors of the concerned district are also entrusted with that job. They should see that if land is not being available, then they should provide the land but the problem is there. The problem is there not because of political reason that one village wants the Anganwadi Kendra to be there in their village and another village will say that it should be

there in their village. But it has to be settled. Political leadership is there to settle the issue when there is a dispute but at the same time, land also should be provided. If it is a swampy land, then some arrangement has to be made so that the land can be converted to a place where a building can be constructed.

Here, I come to an answer that has been given today, the 11th February, 2022 relating to the State to which Shri Ritesh Pandey, the Mover of this Resolution belongs to, that is, Uttar Pradesh. The question was about the district wise number of Anganwadi Kendras in the State of Uttar Pradesh which do not have their own building. That number is here. The number of Anganwadi Centres not having their own building comes to 1,47,725. This covers 75 districts and in Varanasi itself, it is 3424. I would not talk about the district of Shri Ritesh Pandey because the whole list is there. It is in today's answer sheet which the Government has provided on the number of Anganwadi Kendras which are not having their own buildings.

The Government is providing the funds. The State Government is to construct the building and the onus lies with the concerned district administration and the Block Development Officer of the Panchayat Samiti who have to construct those buildings. If it is not there, then the onus lies on us as the public representative to see where the problem lies. It is because this is an investment which is being made by the nation and not by the Government alone. This is an investment made by the nation for the future of this country, for the children of this country as it is always said that child is the father of the man. In that respect, I would say that greater stress should be made on the construction of these buildings.

There are rented places also but it is better that you have a house or an Anganwadi Kendra on its own land. I have invariably been vouchsafing for this. Let the Anganwadi Kendra be nearer to the lower primary school so that the child who is taken by the mother or any relative to the Anganwadi Kendra develops that mentality that this is the Anganwadi Kendra and then, he will go to the primary school.

That fear of going to the school will go away if he goes to a play school, as Anganwadi Kendra is being developed as a play school.

I am coming to the Budget because the Budget has been presented very recently. The Ministry has received an allocation of Rs.25,172.28 crore which is a three per cent increase from last year's budgetary estimate of Rs.24,435 crore. So far so good! There is a three per cent increase.

I think that mover of the Resolution, Shri Ritesh Pandey is very good in Mathematics. The total expenditure percentage-wise has diminished from 0.70 per cent to 0.63 per cent. So, percentage-wise, it has decreased but the budgetary allocation has increased. All of us who are participating in this discussion and those who very much want that the budgetary support should go up for ICDS and especially for Anganwadi Kendras would love to impress upon the Government that we need more funds for this.

My predecessor has just now mentioned one thing about the great work the Anganwadi workers and helpers did during the COVID-19 period. They were provided with safety equipment like masks and sanitisers. That is a great thing which has happened.

But vacancies are still there in Anganwadi Kendras. Vacancies are to be filled up by the State. When I say 'State', the District Administration has to be made accountable as to why there are so many vacancies.

There is a revised guideline and four lakh Anganwadi Kendras are being built across the country. There has been convergence of Anganwadi services with Swachhta Action Plan. A sum of Rs.10,000 is being provided for drinking water facilities. Another sum of Rs.12,000 is being provided for toilet facilities. Grants have been sanctioned for purchase of water filter, furniture, equipment, etc. Anganwadi workers have been provided with smart phones for efficient service delivery. With the POSHAN Tracker, transparency is also there.

I think these are the developments for the last four to five years during this Government's time. It shows how much stress is being given for the development of our younger folk of the country.

Now, I come to the other aspect relating to honorarium and salary. In the Resolution, the mover has stated specifically and he was also prompting the previous speaker that you support my Resolution to convert the honorarium into salary. I will come to that aspect a little later with full details.

Here, I would like to mention that Anganwadi workers are honorary workers. They are not covered under Minimum Wages Act, 1948. They are unskilled. But the question here is, if they are unskilled, there is a provision also in the labour law that the unskilled worker has to be provided with a certain amount of minimum wage. Telling them that you are provided with honorarium and still calling them unskilled, I think that logic does not hold water.

I would say that recently, hon. Supreme Court of India, in a ruling in a civil appeal, State of Karnataka & Ors vs Ameerbi & Ors, has held that Anganwadi workers and helpers do not hold any civil post. This cannot be called as a civil post and everybody will understand that they cannot be termed as Government employees. There is a very small distinction between a worker and an employee. I will come to that aspect a little later. I will inform as to what is the view of our Standing Committee on Labour, Textiles and Skill Development. We deliberated upon the Labour Code in this House.

Sir, I was talking about the shortage of Anganwadi Workers. If we take all the 36 States and Union Territories into account, the number of sanctioned posts is 13,99,697. The number of persons in position is 13,26,982. So, there is a shortfall of about 73,000 posts and these need to be filled up quickly.

When we talk about Anganwadi Workers and Anganwadi Helpers, during the current COVID period, a number of packages have been announced by the Government. There is Pradhan Mantri Garib Kalyan Package where an insurance cover is given for healthcare workers. Similarly, they are also covered under the Pradhan Mantri Jeevan Bima Yojana where a life coverage of two lakh rupees is given. Then, there are schemes like Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana, Anganwadi Karyakarta Bima Yojana, Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana, which is a pension scheme for the unorganised sector workers. Under the Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana, there is an assured pension of Rs. 3,000 per month. So, the schemes are there. But how many Anganwadi Workers and Anganwadi Helpers have actually availed of these benefits? This needs to be looked into. Respective State Governments have to look into this aspect. Many State Governments

have their own pension and insurance schemes other than the schemes being implemented by the Union Government. But, I think, it is necessary that this type of support must be provided to Anganwadi Workers.

Now, I would like to refer to the reply given by the Government in the Lok Sabha on 3rd December, 2021 in response to a question asked by an hon. Member from our party. The Standing Committee on Labour, in its 25th Report on the Unorganised Sector Workers Social Security Bill, recommended that the benefit of social security proposed under the Bill should also be extended to Anganwadi Workers who are not covered by the existing laws relating to social security either in the organised or in the unorganised sector.

Today, Anganwadi Workers and Anganwadi Helpers are organised. Thousands of them are sitting together to protect their interest and calling the attention of the Government. They are all called Anganwadi Workers. They are not part of any trade union. But they are organised. Still, we term them as unorganised because there is no regular appointment and all the laws concerning the regular employees are not being applied to them. So, keeping this in mind, when the Labour Code was being framed, a specific recommendation made to the Government was that we should also cover the workers of the unorganised sector. What is their position in our country now? Since the 19th Century, when the Industrial Revolution started, the concept of organised labour force came into being. When trade unions started working in our country, at that time, the organised labour was only confined to industry and that is the position even today. Their number is not more than eight crores in

our country. It may be a little more or less than that number, but it is not more than eight crores.

The number of unorganised sector workers is more than 48 crore in our country. I would not be at fault to say that most of the trade unions in our country always vouchsafe and plead for the organised workers. Be it banks, be it industries or be it anywhere, it is for the organised workers. Very rarely, the trade unions come out and declare something for the interests of unorganised sector.

I would give credit to this Government. For the first time, they said that unorganised sector should also be covered under the Labour Code. I happen to be Chairman of the Standing Committee on Labour. While deliberating on social security -- there were a number of laws earlier and we codified them -- in our Report, we brought in the gig workers. They are not employed by anyone. They work for a specific purpose. For instance, the platform workers are not employed, but they work and earn. So, they are all in the unorganised sector.

Similarly, we had recommended that 'they should be covered under the Social Security Act or Code, that has been implemented.'

In our Report, we said:

> "The Ministry have not agreed to the suggestion of many stakeholders to include Scheme workers like Anganwadi, ASHA, Mid-day Meals, etc., in the definition of 'worker' on the ground that this is as per the existing provision for the formation of a trade union. The Committee are not convinced --that was our Report -- with the premise advanced by the Ministry. With a view to enabling such workers to avail the benefits of various labour laws, the Committee desire that the Scheme workers, gig workers and all the workers engaged in

the unorganised/informal sector should be included in the recommended unified definition of 'employee/worker."

The Committee has further said that the definition of 'employee' in clause 2(26) has left out many types of workers from its ambit though the earlier draft included Anganwadi and ASHA workers.

I think, the mover of the Resolution, Shri Ritesh Pandey, will go further into this because his Resolution says that they should be included as workers.

Further the first proviso to the clause stipulating that 'the wage ceiling for the employees for the purpose of applicability of Chapter III and IV to be notified by the Government' appears to be restrictive in nature in terms of coverage.

Moreover, the prescribed low wage ceiling of Rs. 15,000 for EPF and Rs. 21,000 for ESIC would exclude many informal workers in the formal sector from the ambit of EPF and ESIC benefits. Are we providing this type of support in EPF and ESIC to the workers? Can we not do it? If the remuneration or the honorarium is Rs. 4,500 today, the minimum wage itself, if that is applicable, which is the law of the land, will definitely allow them to get, at least, Rs. 15,000 per month. But that is not being provided.

So, the Committee have said that 'we are not convinced with Ministry's clarification that 'provisions for determining wage threshold by Central Government for EPFO and ESIC through subordinate legislation is as per the existing practice.'

I need not go into further details though it was more scathing in our Report. But I would say that 'yes, you may say that Anganwadi Workers and helpers are working on a part-time basis. It is not an 8-hour job.' You may say that. But is it a part-time job? A worker or a helper who is looking after 20 to 25 or 30 children, looks after them throughout the day. It is not that at the Anganwadi Kendra, she just looks after them. Even when any child falls ill, that Anganwadi Worker is always referred to. The helper is always referred to because she feeds the child and the parents of these children are mostly illiterate. They are workers or daily wage earners. So, in that respect, I think, it is necessary. It was a great thing that the Central Government is providing some support to the Anganwadi workers. But, it is now necessary that along with providing many things, including smart phones to them, at least, they should get a reasonable amount of money so that they can sustain themselves.

One peculiar thing had happened in my constituency. Once while travelling in the constituency, in a Panchayat, I found that Anganwadi worker was absent. I said: "What happened?" They said: "That girl got married and went to another Panchayat and in that Panchayat, she was not allowed to work as an Anganwadi worker. So, in this Panchayat, they have to select a person." So, there is a long process that how an Anganwadi worker has to be selected. But this also brings to my mind as to how many CDPOs we have in position today. I think, the Minister of State for Social Justice and Empowerment is also present here. I request him to please find out and tell us which are the States which do not have adequate CDPOs or in full strength in their State. Which are the districts where CDPOs are not there? It is because they are in-

charge of looking after the functioning of the Anganwadi workers and helpers.

With these words, I fully support the Resolution that our friend Mr. Ritesh Pandey has moved with all the five resolutions. Thank you.

श्री सय्यद ईमत्याज़ जलील (**औरंगाबाद**): धन्यवाद सभापति महोदय । जितने भी माननीय सदस्यों ने इस बारे में बोला है, तकरीबन उन सभी मेंबर्स की वही मांग है और मैं भी श्री रितेश जी द्वारा मूव किए गए इस रिजोल्यूशन का पूरी तरह से समर्थन करता हूं ।

महोदय, एक लोक प्रतिनिधि होने की हैसियत से जब भी किसी आंगनवाड़ी सेविका, आंगनवाड़ी वर्कर्स या आशा वर्कर्स से मुलाकात होती है, तो वे यही बात कहती हैं कि हमारे लिए कुछ करिए । हम लोक प्रतिनिधि हैं तो उनको हमसे बड़ी उम्मीदें होती हैं और वे सोचती हैं कि यदि उनकी जिंदगी में कुछ बदलाव आ सकता है तो वह हम ही कर सकते हैं । यह अलग बात है कि इसमें कितनी कम सच्चाई है । आज मैं बोलूंगा तो पूरे दिल से बोलूंगा और उनकी इस सोच के पूरा होने की पूरी उम्मीद करूंगा । हम भले ही अलग-अलग राजनीतिक पार्टियों से आते हों, लेकिन हकीकत यह है कि हमने मौत को बहुत करीब से देखा है । कोरोना-काल में कौन अमीर था, कौन गरीब था, कौन कितना बलवान था, कौन किस राजनीतिक पार्टी का था, कौन किस जाति, धर्म का था, इसके कोई मायने नहीं रहे । मौत आई और उनको लेकर चली गई । हम तो खुशनसीब हैं कि हम जिंदा रह गए और अब हमारा यह दायित्व है कि जो लोग मौत के करीब जा रहे हैं, उनको कैसे जिंदा रखा जाए ।

महोदय, आंगनवाड़ी और आशा वर्कर्स की शुरुआत वर्ष 1975 में प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी जी के दौर में हुई थी । इसके जरिए 38 स्कीम्स चलाई जाती थीं । जब ये स्कीम्स शुरू हुई थीं, तो एक आंगरनवाड़ी सेविका को महज 225 रुपये हॉनरेरियम के तौर पर वर्ष 1975 में दिए जाते थे । हम करीब-करीब 50 साल आगे आ गए हैं । उनकी मेहनत इतनी ज्यादा होने के बावजूद भी आज एक आंगनवाड़ी, एक आशा वर्कर कितना कम पैसा कमाती है । यह हम सभी के

लिए बहुत शर्म की बात होनी चाहिए । मैं इसमें राजनीति नहीं कर रहा हूं, लेकिन हम स्मारक और पुतले बनाने पर हजारों करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं । जो आंगनवाड़ी सेविकाएं हैं, वे क्या काम कर रही हैं? वर्ष 2020 में महाराष्ट्र की एक आंगनवाड़ी वर्कर की स्टोरी आई थी, जिसने सबको हिलाकर रख दिया था । उस आंगनवाड़ी महिला की तड़प ऐसी थी कि वह नंदूरबार से एक गांव पहुंचने के लिए खुद कश्ती में बैठती थी । वह 18 किलोमीटर का सफर स्वयं करती थी । उसका वीडियो आज भी यू ट्यूब पर आपको देखने को मिल सकता है । 18 किलोमीटर पानी में वह खुद कश्ती चलाते हुए जाती थी । ताकि वहाँ पर, उस गाँव के दूसरे किनारे पर, जो ट्राइबल के बच्चे हैं, उनकी देखभाल, उनको अंडे पहुँचाने का, उनको दूध पहुँचाने का, उनकी माताओं की हालत देखने का, वे बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं, यह देखने का काम करती है । सोचिए उसका जज्बा कैसा होगा? उसे मिलता क्या है? उसके बदले उसे हासिल क्या हो रहा है? अगर आज हम आंगनवाड़ी वर्कर्स की पगार देखेंगे, सैलरी देखेंगे, हम तो सांसद हैं, अपनी पगार बढ़ानी है तो हम एक झटके के अंदर बढ़ा सकते हैं और हजारों रुपये से बढ़ा सकते हैं । इनकी सैलरीज क्या है? मैं मेरे महाराष्ट्र के हद तक की बात करता हूँ । वहाँ आंगनवाड़ी वर्कर को कितना पैसा दिया जाता है, 8,500 रुपये मेन आंगनवाड़ी वर्कर को दिया जाता है । जिसे आंगनवाड़ी वर्कर (मिनी) कहा जाता है, उसे 4,500 रुपये सैलरी दी जाती है और जो दूसरी है, उसे महज 5 हजार रुपये दिए जाते हैं । आंगनवाड़ी वर्कर्स की अगर हम सैलरी देखेंगे तो वह 4.5 हजार रुपये से लेकर 8 हजार रुपये तक है । सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर में 3 बजे तक काम करना और काम करना भी ऐसा कि उन्हें पूरा प्रोग्राम दिया हुआ होता है । वह घर पर बैठ नहीं सकती है, क्योंकि जितना काम करेगी, उतना पैसा मिलेगा । अब मेरा यह कहना है कि अगर यही महिला मजदूरी करने निकलती है, अगर बाँध के ऊपर जाकर वह सिर्फ मिट्टी उठाने का काम करती है, वह ईंटें यहाँ से वहाँ पहुँचाने का काम करती है तो उसे कम से कम रोज के 400 रुपये से 600 रुपये मिलते हैं यानी कि महीने में उसे 12 हजार रुपये से लेकर 16 हजार रुपये की कमाई हो सकती है । आज अगर इतनी सारी महिलाएं इस जज्बे के साथ आ रही हैं कि मैं एक सेवा का काम करने के लिए जा रही हूँ, मैं बच्चों को जिंदा रखने का काम करने के लिए जा रही हूँ और हम उसे महज चार हजार,

पाँच हजार, छह हजार रुपये दे रहे हैं, तो कहीं न कहीं हम सिर्फ उस सेविका के साथ नहीं, हम यह बता रहे हैं कि जितने बच्चे हैं, अगर उनकी किस्मत है वे जी लिए तो जी लिए, जो मर गए तो मर गए । हम इस हिसाब से उनको दे रहे हैं कि हम तो तुमको बुला रहे हैं, हम इतना पैसा देंगे और तुम्हे यह काम करना है, तुम करो । आज जब यह सदन शुरू हो रहा था, मैंने जिला परिषद के कुछ अधिकारियों को इसका एक रिव्यू लेने के लिए बुलाया कि आखिर में क्या है । मैंने एक अधिकारी से पूछा कि हमारे जिले के अंदर चाइल्ड मोर्टेलिटी क्या है, तो उसका तुरन्त जवाब था कि बहुत कम है । मैंने कहा मदर मोर्टेलिटी कितनी है, जो प्रेगनेंसी के दौरान बच्चा पैदा करते वक्त या प्रेगनेंसी के दौरान मर जाती है, तो उसने मुझे आंकड़ा बताया और उसने कहा कि बहुत कम है । मेरा जवाब उसको यह था कि अगर एक भी मरता है, अगर एक बच्चा भी पैदा होकर मरता है या एक माँ भी अगर प्रेगनेंसी के दौरान मरती है तो उसके लिए हम दोषी हैं । परसेंटेज कम हो रहा है, पिछले टाइम 50 महिलाएं मरी थीं, अब 40 महिलाएं मर रही हैं, पिछले टाइम 100 बच्चे मर रहे थे, अब 80 बच्चे मर रहे हैं, उनकी जान जा रही है । मेरे हिसाब से एक-एक बच्चे की जान कीमती है । मैं आज केरल गवर्नमेंट, पांडिचेरी गवर्नमेंट और गोवा की गवर्नमेंट का धन्यवाद करता हूँ । जब हमने ये हिसाब लगाया कि महाराष्ट्र इतना प्रगतिशील राज्य होने के बावजूद क्या वजह है कि आप इतना कम पैसा दे रहे हैं तो हमें पता चला कि केरल ने सुओमोटो इन आंगनवाड़ी वर्कर्स की पगार, इनकी सैलरी बढ़ाकर 15 हजार रुपये कर दी है । पांडिचेरी और गोवा सबसे ज्यादा पैसा देता है इन आंगनवाड़ी वर्कर्स को । महाराष्ट्र सरकार की क्या ऐसी दुविधा है कि वे एक अच्छे काम के लिए पैसा नहीं दे सकते हैं और कितना माँग रहे हैं? अगर उनको 5 हजार रुपये दिए जाते हैं तो क्या हम उन्हें 10 हजार रुपये पगार नहीं दे सकते हैं? आज उन्हें क्यों सिर्फ एक मानदेय के तौर पर पैसा दिया जा रहा है? क्यों नहीं जिस तरह महताब साहब ने बताया है कि हम उनको क्यों नहीं एक परमानेंट एम्प्लाई के तौर के ऊपर देखते हैं ताकि उन्हें कम से कम मिनिमम वेजेज एक्ट के हिसाब से सैलरी दी जा सके? वे ऐसा-वैसा काम नहीं कर रही हैं, आज वे गाँव के अंदर जाती हैं । मैं सरकार से यह कहूँगा और पूरी ईमानदारी के साथ यह कहूँगा कि मेहनत हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स कर रही हैं, मेहनत हमारी आशा वर्कर्स कर

रही हैं, लेकिन आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं । आप उनका सारा क्रेडिट मुफ्त में ले रहे हैं । मेहनत वे कर रही हैं और आप कह रहे हैं कि नहीं, देखिए हमने कितना अच्छा काम किया है ।

20.00 hrs

अगर वे न रहें, तो आपके पास सिर्फ मौत के आंकड़े आएंगे । ये महिलाएं जाती हैं और जाकर बताती है कि क्या होना चाहिए या क्या नहीं होना चाहिए? चाहे डिलिवरी का रिकॉर्ड मेन्टेन करना हो या कोविड की दवाइयां हों, आज वैक्सीनेशन सबसे ज्यादा अगर गाँवों के अंदर हुआ है तो आप कितने गर्व के साथ आकर कहते हैं । हेल्थ मिनिस्टर जी हमारे महाराष्ट्र से आती हैं । मैडम, आप भी अच्छी तरह से जानती है कि उनकी हालत क्या है, उनकी पीड़ा क्या है? यह आप भी अच्छी तरह से समझती हैं और एक महिला होने की हैसियत से, यह तो आपकी जिम्मेदारी है, यह हमें बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए । हमें बोलने की जरूरत इसलिए नहीं होनी चाहिए कि इस सदन के अंदर चाहे वह सत्ता में बैठे हुए हों या विपक्ष के अंदर बैठे हुए हों, उनकी पीड़ा आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं । उनकी तकलीफें क्या हैं, आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं । अगर आप जानकर भी अनजान बने रहना चाहते हैं, तो इसके लिए कौन दोषी है? मैं आपसे हाथ जोड़ कर यह अनुरोध करना चाहूंगा कि एक बहुत जिम्मेदारी का काम ये लोग कर रही हैं । अगर हम इन्हें थोड़ा सा और सहारा दे देते हैं तो मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छा काम हो जाएगा ।

मैडम, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि पिछले साल सारे मराठी चैनल्स के ऊपर एक खबर आई थी कि आंगनवाड़ी सेविकाएँ जितनी भी हैं, उनको महाराष्ट्र सरकार ने मोबाइल फोन दिया था । वह फोन चलता ही नहीं था । एक लाख जो आंगनवाड़ी सेविकाएं थीं, उन्होंने यह तय किया कि हमको यह मोबाइल फोन नहीं चाहिए, यह आप रख लीजिए यानी कि सोचिए कि उसके अंदर भी भ्रष्टाचार है । एक अच्छा काम करने के लिए एक महिला गाँव-गाँव घूम रही है, काम करने के लिए जा रही है और वह फोन जो दिया गया है, वह फोन ही नहीं चलता था । एक लाख आंगनवाड़ी सेविकाओं ने यह तय किया कि अब

हम यह वापस कर देंगे और उन्होंने वापस करने का फैसला लिया है । मेरा सरकार से यही अनुरोध है और मैं सबसे पहले इस मामले के अंदर हमारे सम्माननीय सदस्य रितेश जी का बहुत-बहुत धन्यवाद अदा करता हूं कि ऐसे लोगों की आवाज उन्होंने इस सदन तक पहुंचाई है । देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो आंगनवाड़ी सेविकाएँ हैं, उनकी एक यूनियन है । उस यूनियन ने सितंबर …(व्यवधान) सर, एक मिनट दीजिए । आंगनवाड़ी कर्मचारी यूनियन के लीडर्स ने हमारी फाइनेंस मिनिस्टर आदरणीय निर्मला सीतारमण जी से सितंबर, 2021 के अंदर मुलाकात की और उनसे यह अनुरोध किया कि आने वाले बजट के अंदर हमारे बारे में कुछ सोचा जाए । उन्होंने वूमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर, केन्द्र सरकार से भी मुलाकात की और उन्हें बदले में क्या मिला? वह इंतजार करती रही कि अब बजट आएगा तो उसके अंदर कुछ न कुछ हमको मिलेगा । उन्हें सिर्फ आश्वासन मिला और इसी आश्वासन के ऊपर वे कितने सालों से काम कर रही है कि आज नहीं तो कल मेरे भी अच्छे दिन आएंगे । क्योंकि मेरे वजीर-ए-आजम ने कहा है कि सब के अच्छे दिन आएंगे तो आंगनवाड़ी बहनों के भी अच्छे दिन आएं । यही हम उम्मीद करते हैं । हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि इसके बारे में कुछ न कुछ फैसला लीजिएगा । उनके घर भी हैं, उनको खुद के बारे में भी सोचना है, वह दूसरों के बारे में सोच कर बाहर निकलती है । उनके बारे में सोचने की जिम्मेदारी हम सब की हैं और पूरे सदन की है । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

इंजीनियर गुमान सिंह दामोर (रतलाम): महोदय, आपने मुझे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका बहनों के कल्याण के संबंध में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं ।

महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आंगनवाड़ियां, विशेष कर जो हमारे गरीब क्षेत्र हैं, उनमें आशा और विकास का केन्द्र है । हमारे जो गरीब परिवार हैं, उन गरीब परिवार के बच्चों को हमारी आंगनवाड़ी एक प्रकार से उनके विकास के लिए हर प्रकार के कार्य करती है । हमारे देश के यशस्वी प्रधान मंत्री परम आदरणीय मोदी जी ने देश के सभी सासंदों और सभी समाज सेवकों से आह्वान किया कि हम आंगनवाड़ियों को गोद लें । मुझे यह कहते हुए

खुशी है कि हमारे मध्य प्रदेश के कई जिलों में आंगनवाड़ियों को गोद लेने की एक होड़ सी लगी है ।

उसका फायदा हमारे नन्हे-मुन्हे बच्चों को मिलेगा । आंगनवाड़ी गोद लेने से यह होगा कि आंगनवाड़ी में जाएंगे और हम यह देखेंगे कि हमारे बच्चों का स्वास्थ्य कैसा है, उनकी देखभाल कैसी हो रही है । उनको भोजन कैसा मिल रहा है और अगर हमारा कोई जन्मदिन या खुशी का ऐसा मौका आता है तो हम अपना जन्मदिन या खुशी का मौका उन बच्चों के साथ मनाएंगे । जहां तक इस बिल में जो बिंदु उठाए गए हैं, मैं मानता हूँ कि पांडे जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु उठाए हैं । आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ता और हमारी सहायिका बहनों का जो दर्जा है, मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारे जो प्ले स्कूल होते हैं, जो नर्सरी के स्कूल होते हैं, उनके शिक्षकों के समान होना चाहिए या जो हमारी प्राथमिक शालाएं हैं, उनके शिक्षकों के समान होना चाहिए । हमारा आने वाला कल या हमारे आने वाले कल के भारत के नागरिक इन्हीं कार्यकर्त्ताओं और सहायिका बहनों के माध्यम से बड़े किए जाते हैं । जब तक उनकी सुरक्षा नहीं होगी, उनको यह भरोसा नहीं होगा कि उनका जीवन सुरक्षित है । सेवानिवृत्ति के बाद उनको भी किसी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी तो मैं समझता हूँ कि ऐसा होने की दिशा में वह बहुत अच्छे से काम करेंगी और आंगनवाड़ी में जो बच्चे आ रहे हैं, उनकी देखभाल भी बहुत अच्छे तरीके से होगी । मैं आपके माध्यम से भारत सरकार की मंत्री हमारी बहन स्मृति इरानी जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने आंगनवाड़ियों को मज़बूत करने की दृष्टि से हर प्रकार के कार्य किए हैं । जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारे गरीब जिले हैं, इन गरीब जिलों में सबसे बड़ी समस्या कुपोषण की है । इन आंगनवाड़ियों को कुपोषण मिटाने की जिम्मेदारी दी गई है । इसके साथ-साथ जैसा अभी हमारे सभी वक्ताओं ने बोला कि आंगनवाड़ियों को कोरोना काल में सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी कि हम कोरोना से मुकाबला करें और हमारी मध्य प्रदेश की सरकार ने तो हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ता और आंगनवाड़ी सहायिका बहनों को कोरोना वॉरियर्स घोषित किया था । हमारी इन आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ता बहनों और सहायिकाओं ने और हमारे गांव की जो आशा कार्यकर्त्ता बहने हैं, उन सबने मिल कर गांव की बहुत बड़ी सुरक्षा की है । चूंकि मैं भी गांव

में रहता हूँ । मैं भी आंगनवाड़ी में जाता हूँ । मैं उन आंगनवाड़ी बहनों और आशा बहनों की परेशानी को समझ सकता हूँ । मेरा अनुरोध यह है कि हमको इन बहनों की भलाई के बारे में भी गंभीरता से सोचना चाहिए ।

जिस प्रकार से शासकीय सेवा में सेवा शर्तें होती हैं, उस प्रकार की सेवा शर्तें भी इन आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ता और बहनों की होनी चाहिए, ताकि वे अपने आपको सुरक्षित महसूस करें । अभी जो हमारी आंगनवाड़ी बहनें हैं, उनके ऊपर पूरा महिला एवं बाल विकास निर्भर करता है । मेरा ऐसा मानना है कि हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ता बहनें जितनी मजबूत होंगी, उतना ही हम अच्छा काम इस क्षेत्र में कर पाएंगे ।

अभी हमारे एक वक्ता ने बोला कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मोबाइल दिए गए । मोबाइल फोन तो सभी जगह दिए गए और हमारे प्रदेश में तो मोबाइल फोन अच्छा काम कर रहे हैं और विशेषकर जो पोषण ट्रेकर है, उस पोषण ट्रेकर के माध्यम से अब एक-एक बच्चे की देखभाल की जा रही है । मॉनिटरिंग सिस्टम अच्छा है और इसको और अच्छा करने की आवश्यकता है । जहां तक हमारे देश के यशस्वी प्रधान मंत्री परम आदरणीय मोदी जी का सवाल है, उन्होंने इस आंगनवाड़ी को बहुत ही मज़बूत करने के लिए हर प्रकार के कदम उठाए हैं । मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमारी एनडीए की सरकार ने इन आंगनवाड़ियों की बेहतरी के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं । जो भी सुझाव इस बिल में आएंगे, उसका भी पालन कर के और मज़बूत करेंगे ।

मैं इतना कहना चाहता हूँ कि हमारी आंगनवाड़ियों में मुख्य रूप से क्या-क्या होना चाहिए । नंबर एक, आंगनवाड़ी भवन अच्छा होना चाहिए । वहां पर बैठने के लिए साफ-सुथरी जगह होनी चाहिए । दूसरा, पीने के पानी की व्यवस्था हो । तीसरा, छोटे बच्चों के लिए साफ-सुथरा शौचालय हो और उस आंगनवाड़ी केन्द्र की सुरक्षा के लिए बाउण्ड्री वाल हो ।

महोदय, मैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में कहना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश की सरकार इस मामले में बहुत अच्छा कार्य कर रही है । वहां नए-नए आंगनवाड़ी भवन बन रहे हैं । जिस प्रकार से ड्रेस कोड की बात की गई तो हमारे मध्य प्रदेश

में तो ड्रेस कोड भी लागू हुआ है और काफी कुछ काम हो रहा है । इस बिल के माध्यम से जो कुछ छोटी-मोटी बातें उठाई गई हैं, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और मैं यह मानता हूं कि हमारे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को और हमारी सहायिका बहनों को नियमित वेतन मिले, उनके लिए सेवा शर्तें बनें, ताकि उनका भी परिवार सुरक्षित रहे ।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, अगर सभा की सहमति हो तो इस विषय को अगली बार ले लिया जाए । शून्य काल के कुछ माननीय सदस्य बाकी हैं ।

अनेक माननीय सदस्य: हाँ ।

माननीय अध्यक्ष: डॉ. आलोक कुमार सुमन - उपस्थित नहीं ।

डॉ. डीएनवी सेंथिलकुमार. एस ।